Complaints from Members of Parliament against Drug Companies

*152. SHRIMATI SATYA BAHIN:

SHRI H. HANUMAN-THAPPA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry have received a number of communications from Members of Parliament on various issues connected with the drug industry;

(b) if so, what is the total number of letters received from Members of Parliament from 1st January, 1990 to 31st December, 1990; and

(c) what are the details of issues raised in these letters and what action has been taken?

THE MINISTER FOR PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIA-MENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): (a) Yes, Sir.

(b) During the period about 340 letters concern wrong inclusion j ex -of Parliament.

(c) Main issues raised in these letters concern wrong inclusion/exclusion of drugs from price control, under assessment of liability of the drug companies on account of DPEA, recovery from the companies as a re-sult of Supreme Court judgement, over-invoicing of imports, over-charging and non-implementation of prices, suggestions for review of drug policy, customs duty matters and licensing matters.

Most of these letters have already been replied to. As regards inclusion/exclusion of drugs, the Standing Committee is looking into these matters, On the recovery side, matters are being pursued and liabilities have been worked out in some cases. On the review of the drug policy, the suggestions made by the Hon'ble Members of Parliament have been noted and will be kept in mind at the time of review and on over-invoicing and over-charging, necessary action has been initiated against the companies concerned.

Loans to IDPL and HAL from DPEA

*153. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a 'fact that his Ministry have given loans to IDPL and HAL from Drug Prices Equalisation Account;

(b) if so, when and the rate of interest to be charged thereon;

(c) what amount has been paid to these units as loan or refund during-"the last three years, year-wise;

(d) what is the provision under DPCO, 1987 or DPCO, 1979 under which loan can be given from Drug Prices Equialisation Account;

(e) whether it is a fact that huge amount is due from these units un der Drug Prices Equalisation Ac count;

(f) if so, what is the total amount due and how much has been re covered;

(g) whether it is also a fact that still certain liabilities are to be as sessed; and

(h) if so, what are the details thereof and by when assessment in this regard is likely to be completed?

THE MINISTER FOR PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIA-MENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) There is no provision under ' Drugs (Prices Control) Order, 1979/ 1987 under which loans can be given to any company from the Drug Prices Equalisation Account.

(e) to (h) Both these companies have liability to pay into the Drug

Prices Equalisation Account. The process of finalising the liabilities of both the companies in accordance with the due process of Law is in progress.

अनुसूचित जाति के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश

*154. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री जगराम सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "फेक शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट्स इजोलो अवेलेबल" शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में जाली-प्रमाण-पत्रों के आधार पर हुए दाखिलों के बारे में प्राप्त शिकायतों की कोई जांच करायी गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दाखिलों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) उन दाखिलों की संख्या कितनी है जिनकी जांच करायी गयी थी तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य, रामजस कालेज ने कक्षा XI की परीक्षा के जाली प्रमाण पत्रों/अंक तालिका के आधार पर इस वर्ष कालेज में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में 3 छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में जांच की थी । क्योंकि शिकायतों की पुष्टि हो गई थी अतः प्रधानाचार्य ने 22-8-1990 के आदेशों द्वारा इन तीनों छात्रों के दाखिले रद्द कर दिये थे । उन्होंने थाना अध्यक्ष, पुलिस थाना, दिल्ली विश्वविद्यालय से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ।

विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य श्री विजय गोयल ने थाना मौरिस नगर में 27-11-1990 को एफ. आई. आर. संख्या 103/90 यह आरोप लगाते हुए दर्ज कराई थी कि जिन तीन छात्रों के प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा रद्द कर दिये गये थे उनके समेत रामजस कालेज के सात छात्र इस वर्ष अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में जाली और झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर दाखिल किये गये थे । दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एक मामला, आई. पी. सी. की धारा 420, 468, 471, 507 और 120-बी के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया है और अब तक 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर हुए दाखिलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर कुलपति ने दिल्ली कालेजों के प्रधानाचार्यों को 4-12-1990 को एक अ. शा. पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मामले की गंभीरता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे अनियमित अथवा गैर कानूनी दाखिलों की शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया और इसके बाद डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें यह निर्णय किया गया कि भविष्य में प्रधानाचार्यों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद् तथा अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिख कर छात्रों द्वारा अपने दाखिले के समय प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए कक्षा XI की परीक्षाओं के प्रकाशित परिणामों की प्रतियां प्राप्त करनी चाहिए ।

पिछले वर्षों में अपनाई गयी पद्धति के अनुसार विश्वविद्यालय ने अनुसूचित